भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2226

12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियों के लिए फार्माकोविजिलेंस प्रणाली

2226. श्री अ. मनि:

श्री ई.टी. मोहम्म्द बशीर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुष औषधियों के लिए, विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं के संबंध में सुरक्षा, गुणवत्ता और निगरानी सुनिश्चित करने हेतु फार्माकोविजिलेंस प्रणाली को मजबूत करने के लिए विशिष्ट पहल की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में तमिलनाडु में आयुष अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय आयुष फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम (पीवीपीए) से जुड़ी परिधीय इकाइयों की संख्या सहित कार्यान्वित किए जा रहे फार्माकोविजिलेंस कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु के धरमपुरी जिले में, पारंपरिक चिकित्सा पर अत्यधिक निर्भर रहने वाली इसकी विशाल ग्रामीण और जनजातीय आबादी को ध्यान में रखते हुए, कोई समर्पित आयुष फार्माकोविजिलेंस केंद्र स्थापित किए गए हैं या स्थापित किए जाने हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में आयुष फॉर्मूलेशन से संबंधित प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की पहचान, रिपोर्ट और प्रबंधन के लिए तमिलनाडु के धरमपुरी जिले में आशा कार्यकर्ताओं, ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मियों और आयुष चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्रीय योजना-आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों के लिए एक भेषजसतर्कता कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह कार्यक्रम एक समर्पित तीन-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें देश भर में एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), पांच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और सत्तानवे परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) शामिल हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एनपीवीसीसी के रूप में कार्य करता है। सभी पीपीवीसी, आवश्यक कार्रवाई के लिए भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओए) और संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (एडीआर) की रिपोर्ट नियमित रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग अधिकारियों को करते हैं।

आयुष औषधियों के लिए भेषजसतर्कता प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए, आयुष मंत्रालय ने 30 मई 2025 को एक आईटी सक्षम ऑनलाइन पोर्टल "आयुष सुरक्षा" का शुभारंभ किया है ताकि

एमएलए/ओए का पता लगया जा सके और आयुष दवा से संबंधित प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया (एडीआर) की रिपोर्ट की जा सके। तत्काल विनियामक कार्रवाई और समग्र डेटा विश्लेषण हेतु इस पोर्टल में, संदिग्ध एडीआर की रियल-टाइम ट्रैकिंग और एमएलए/ओए का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड विद्यमान है।

यह पोर्टल राष्ट्रीय भेषजसतर्कता कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और तीन स्तरीय भेषजसतर्कता केंद्र से डेटा को एकीकृत करता है तथा शिकायतों को निवारण हेतु संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित करता है, जिनमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आयुष) और केंद्र सरकार के निकायों जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी), केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच), भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) शामिल हैं।

(ख) आयुष औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम के तहत, कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तमिलनाडु में एक आईपीवीसी और 15 पीपीवीसी कार्यरत हैं। केंद्रों का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) तमिलनाडु के धरमपुरी जिले में कोई समर्पित आयुष भेषजसतर्कता केंद्र स्थापित नहीं किया गया है और न ही स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है।

(घ) आयुष औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम का उद्देश्य हितधारकों में जागरूकता उत्पन्न करना, संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया (एडीआर) की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना, और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भ्रामक विज्ञापन (एमएलए)/आपत्तिजनक विज्ञापन (ओए) का पता लगाना है।

पिछले तीन वर्षों में, तमिलनाडु में भेषजसतर्कता केंद्रो द्वारा कुल 631 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,02,212 लाभार्थियों ने भाग लिया। विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया हैं।

*****

संलग्नक-I

तमिलनाडु में कार्यरत भेषजसतर्कता केंद्रों का विवरण निम्नलिखित है:

तमिलनाडु में परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी)			
1	**सिद्ध**	आईपीवीसी	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु
2	**सिद्ध**	पीपीवीसी	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु
3	**सिद्ध**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पलायमकोट्टई
4	**सिद्ध**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट सिद्ध मेडिकल कॉलेज, चेन्नई
5	**सिद्ध**	पीपीवीसी	एएमओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल (सिद्ध विंग), पेरुंदुरई, इरोड
6	**सिद्ध**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (सिद्ध विंग), डिंडीगुल
7	**सिद्ध**	पीपीवीसी	कुलुमनी, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (सिद्ध विंग), त्रिची
8	**सिद्ध**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (सिद्ध विंग), कुड्डालोर
9	**सिद्ध**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट पीएचसी, वलाथी (सिद्ध विंग), विल्लुपुरम, तमिलनाडु
10	**सिद्ध**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुझिथुरई, कन्याकुमारी, डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु
11	**सिद्ध**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कामुथी, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु
12	**सिद्ध**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट थेनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु
13	**सिद्ध**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कायमोझी, तूतीकोरिन, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु
14	**आयुर्वेद**	पीपीवीसी	गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, नागरकोइल, तमिलनाडु
15	**यूनानी**	पीपीवीसी	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
16	**होम्योपैथी**	पीपीवीसी	सरदा कृष्ण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु

संलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों में भेषजसतर्कता केन्द्रों द्वारा तमिलनाडु में आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित हैं::

वर्ष	**जागरूकता कार्यक्रम**	**लाभार्थी**
2023	192	20859
2024	249	43781
2025 (अक्टूबर 2025 तक)	190	37572
कुल	**631**	**1,02,212**